रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-10082024-256254
CG-MH-E-10082024-256254

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 603] नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 7, 2024/ श्रावण 16, 1946
No. 603] NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 7, 2024/ SHRAVANA 16, 1946

भारतीय रिज़र्व बैंक

(वित्तीय बाजार विनियमन विभाग)

(केन्द्रीय कार्यालय)

अधिसूचना

मुंबई, 2 अगस्त, 2024

विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ऋण लिखत) (तीसरा संशोधन) विनियमावली, 2024

सं.फेमा.396(3)/2024-आरबी. — विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, 1999 (1999 का 42) की धारा 6 की उप-धारा (2) के खंड (ए) और धारा 47 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ऋण लिखत) विनियमावली, 2019 (अधिसूचना सं फेमा.396/2019-आरबी दिनांक 17 अक्टूबर, 2019) (इसके पश्चात इसे 'मूल विनियमावली' कहा गया है) में निम्नानुसार संशोधन करता है, अर्थात्: –

1. लघु शीर्षक और प्रवर्तन

(i) ये विनियमन विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ऋण लिखत) (तीसरा संशोधन) विनियमावली, 2024 कहे जाएंगे।

(ii) ये विनियमन शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे।

2. मूल विनियमावली की अनुसूची 1 में संशोधन

(i) मूल विनियमावली की अनुसूची 1 में पैराग्राफ 1 में, उप पैराग्राफ 'ई' के बाद, निम्नलिखित नया उप-पैराग्राफ अन्तःस्थापित किया जाएगा:-

> ***"एफ. भारत में अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाएँ केंद्र (आईएफएससी) में राष्ट्रिक हरित बॉण्ड खरीदने के लिए भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों को अनुमति***
>
> *(1) भारत के बाहर के निवासी व्यक्ति जो भारत में आईएफएससी में डिपोजिटरी में प्रतिभूति खाता रखते हैं, रिज़र्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट नियमों और शर्तों के अनुसार राष्ट्रिक हरित बॉण्ड की खरीद या बिक्री कर सकते हैं।"*

(ii) मूल विनियमावली की अनुसूची 1 के पैराग्राफ 2 में, खंड (4ए) के बाद निम्नलिखित नया खंड अंतःस्थापित किया जाएगा:-

> *"(4बी) इस अनुसूची के पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (एफ) के अनुसार भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों द्वारा भारत सरकार द्वारा जारी राष्ट्रिक हरित बॉण्ड की खरीद के लिए प्रतिफल की राशि का भुगतान बैंकिंग चैनलों के माध्यम से विदेश से आवक विप्रेषण में से या रिज़र्व बैंक और/या अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाएँ केंद्र प्राधिकार द्वारा जारी विनियमनों के अनुसार अनुरक्षित विदेशी मुद्रा खाते में धारित निधियों में से किया जाएगा।*

(iii) मूल विनियमावली की अनुसूची 1 के पैराग्राफ 4 में, खंड (2ए) के बाद निम्नलिखित नया खंड अंतःस्थापित किया जाएगा:-

> *"(2बी) इस अनुसूची के पैराग्राफ 1 के उप-पैराग्राफ (एफ) के अनुसार भारत के बाहर के निवासी व्यक्तियों द्वारा धारित लिखतों की बिक्री/परिपक्वता लाभ (निवल कर, यथा लागू हो) को भारत से बाहर विप्रेषित किया जाएगा।"*

डिम्पल भांडिया, मुख्य महाप्रबंधक

[विज्ञापन-III/4/असा./372/2024-25]

फुटनोट:- मूल विनियमावली शासकीय राजपत्र में दिनांक 17 अक्टूबर, 2019 को जी.एस.आर. सं.796 (ई) के तहत भाग II, धारा 3, उप-धारा (i) में प्रकाशित किया गया था और निम्नानुसार संशोधित किया गया था:

1. अधिसूचना सं. फेमा 396 (1)/2021-आरबी [विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ऋण लिखत) (प्रथम संशोधन) विनियमावली, 2021] दिनांक 13 अक्टूबर, 2021 को भारत के राजपत्र [असाधारण, भाग III-धारा 4] में, राजपत्र आईडी सीजी-एमएच-ई-21102021-230591 दिनांक 21.10.2021 के माध्यम से प्रकाशित।
2. अधिसूचना सं. फेमा 396 (2)/2023-आरबी [विदेशी मुद्रा प्रबंधन (ऋण लिखत) (द्वितीय संशोधन) विनियमावली, 2023] दिनांक 16 अक्टूबर, 2023 को भारत के राजपत्र [असाधारण, भाग III-धारा 4] में, राजपत्र आईडी सीजी-डीएल-ई-21102023-249619 दिनांक 20.10.2023 के माध्यम से प्रकाशित।

RESERVE BANK OF INDIA

(Financial Markets Regulation Department)

(CENTRAL OFFICE)

NOTIFICATION

Mumbai, the 2nd August, 2024

Foreign Exchange Management (Debt Instruments) (Third Amendment) Regulations, 2024

No. FEMA.396(3)/2024-RB. — In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (2) of section 6 and section 47 of the Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999), the Reserve Bank of India hereby makes the following amendment to the Foreign Exchange Management (Debt Instruments) Regulations, 2019

(Notification No. FEMA.396/2019-RB dated October 17, 2019) (hereinafter referred to as 'the Principal Regulation'), namely:-

1. Short title and commencement

(i) These Regulations shall be called the Foreign Exchange Management (Debt Instruments) (Third Amendment) Regulations, 2024.

(ii) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Official Gazette.

2. Amendment to Schedule 1 to the Principal Regulation

(i) In paragraph 1 of Schedule 1 to the Principal Regulation, after sub-paragraph 'E', the following new sub-paragraph shall be inserted:-

> **"F. Permission to persons resident outside India for purchase of Sovereign Green Bonds in the International Financial Services Centre (IFSC) in India**
>
> *(1) "Persons resident outside India that maintain a securities account with a depository in IFSC in India may purchase or sell Sovereign Green Bonds issued by the Government of India, as per terms and conditions specified by the Reserve Bank."*

(ii) In paragraph 2 of Schedule 1 to the Principal Regulation, after clause (4A) the following new clause shall be inserted:-

> *"(4B) The amount of consideration for purchase of Sovereign Green Bonds issued by the Government of India by persons resident outside India in terms of sub-paragraph (F) of paragraph 1 of this Schedule shall be paid out of inward remittance from abroad through banking channels or out of funds held in a foreign currency account maintained in accordance with the regulations issued by the Reserve Bank and/or the International Financial Services Centre Authority."*

(iii) In paragraph 4 of Schedule 1 to the Principal Regulation, after clause (2A) the following new clause shall be inserted:-

> *"(2B) The sale/ maturity proceeds (net of taxes, as applicable) of instruments held by persons resident outside India in terms of sub-paragraph (F) of paragraph 1 of this Schedule may be remitted outside India."*

DIMPLE BHANDIA, Chief General Manager

[ADVT.-III/4/Exty./372/2024-25]

Foot Note:- The Principal Regulation was published in the Official Gazette vide G.S.R.No.796(E) dated October 17, 2019 in Part II, Section 3, sub-Section (i), and amended vide:

1. Notification no. FEMA 396(1)/2021-RB [Foreign Exchange Management (Debt Instruments) (First Amendment) Regulations, 2021] dated October 13, 2021 published in the Gazette of India [Extraordinary, Part III–Section 4], *vide* Gazette ID CG-MH-E-21102021-230591 dated 21.10.2021.
2. Notification no. FEMA 396(2)/2023-RB [Foreign Exchange Management (Debt Instruments) (Second Amendment) Regulations, 2023] dated October 16, 2023 published in the Gazette of India [Extraordinary, Part III–Section 4], vide Gazette ID CG-DL-E-21102023-249619 dated 20.10.2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.